न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 169 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 300

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1.मांगीलाल पुत्र दानाराम
जाति जाट निवासी भाटो का वास,
पचपदरा जिला बालोतरा

2.डूंगरचन्द पुत्र मुकनचंद
जाति जैन निवासी असाडा

3.लालसिंह पुत्र चन्दनसिंह
जाति राजपूत निवासी असाडा

4.गैहरो देवी पत्नी दिनेश
जाति जाट निवासी बालोतरा

5.तुलसीदेवी पत्नी बाबुलाल
जाति जाट निवासी बायतु पनजी
हाल– बालोतरा

6.बाबूदेवी पत्नी नोरतमल
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी बालोतरा

7.भूरी देवी पत्नी प्रहलादराम
जाति जाट निवासी बायतु पनजी
हाल– बालोतरा

8.भंवरीदेवी पत्नी हेमाराम
जाति जाट निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1.करनाराम पुत्र अचलाराम
2.गोपाराम पुत्र अचलाराम
3.सोनाराम पुत्र अचलाराम
4.हेमाराम पुत्र अचलाराम
जाति भाट निवासी पचपदरा
5.चेनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेगवाल
निवासी साजियाली
6.खुशी रियल स्टेट प्रोपराईटर गौतमचंद
पुत्र बच्छराज जाति जैन
निवासी बालोतरा
7.चौकसी इन्फ्रा प्रोपराईटर बच्छराज
गौतमचंद एच.यू.उफ. के कर्ता गौतमचंद
पुत्र बच्छराज जाति जैन
निवासी बालोतरा
8.हेमाराम पुत्र दानाराम जाति भाट
निवासी पचपदरा
9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 6 व 7
3. विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 8,9 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 27/03/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल व विप्रार्थी संख्या 08 हेमाराम की खोतदारी भूमि खेत खसरा संख्या 2050/1009 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर एवं प्रार्थी मांगीलाल की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 2048/1009 क्षेत्रफल 1.4733 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2052/5 क्षेत्रफल 0.8252 हैक्टेयर एवं प्रार्थी मांगीलाल की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 06 क्षेत्रफल 4.1986 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 04 ता 08 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1008/4 क्षेत्रफल 3.7180 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 02 व 06 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1626/1009 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2050/1009 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2048/1009 क्षेत्रफल 1.4733 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2052/5 क्षेत्रफल 0.8252 हैक्टेयर,खसरा संख्या 06 क्षेत्रफल 4.1986 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1008/4 क्षेत्रफल 3.7180 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1626/1009 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थीगण के आवेदन तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 8,9 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभयपंक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल व विप्रार्थी संख्या 08 हेमाराम की खोतदारी भूमि खेत खसरा संख्या 2050/1009 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर एवं प्रार्थी मांगीलाल की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 2048/1009 क्षेत्रफल 1.4733 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2052/5 क्षेत्रफल 0.8252 हैक्टेयर एवं प्रार्थी मांगीलाल की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 06 क्षेत्रफल 4.1986 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 04 ता 08 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1008/4 क्षेत्रफल 3.7180 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 02 व 06 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1626/1009 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा में भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

द्वारा दखलदाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी मादो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2050/1009 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2048/1009 क्षेत्रफल 1.4733 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2052/5 क्षेत्रफल 0.8252 हैक्टेयर,खसरा संख्या 06 क्षेत्रफल 4.1986 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1008/4 क्षेत्रफल 3.7180 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1626/1009 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि खसरा संख्या 1008/4,1626/1009 कृषि भूमिया नही होकर के औधोगिक भूमिया है तथा विवादित भूमिया की खतौनिया व खाते अलग अलग है तथा उनके खातेदारान भी अलग अलग है,इस कारण संयुक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। खसरा संख्या 2050/1009, 2048/1009 , 2052/5 , 6 , 1008/4,1626/1009 के खातेदारान भिन्न भिन्न है,इस कारण भी आवेदन पोषणीय नहीं है। मौके पर कोई भी सीमा चिन्ह को लेकर विवाद नहीं है,मौके पर बाद सीमाज्ञान माप के काबिज हुए रहे व है। पत्थरगढी का आदेश प्राप्त करने कोई हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। अतं में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम प्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल व विप्रार्थी संख्या 08 हीराराम की खोतदारी भूमि खेत खसरा संख्या 2050/1009 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर एवं प्रार्थी मांगीलाल की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 2048/1009 क्षेत्रफल 1.4733 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2052/5 क्षेत्रफल 0.8252 हैक्टेयर एवं प्रार्थी मांगीलाल की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 06 क्षेत्रफल 4.1986 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 04 ता 08 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1008/4 क्षेत्रफल 3.7180 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 02 व 06 की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 1626/1009 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा में भूमि अवस्थित है। जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। लेकिन खसरा संख्या 1008/4 व 1626/1009 की किस्म गै.मु.औधोगिक है,जो कृषि भूमि नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा से राहत प्राप्त नहीं कर सकते है अर्थात उक्त खसरान पर न्यायालय हाजा उचित आदेश पारित करने के लिए सक्षम नही है। इस कारण खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1008/4 व 1626/1009 की नेखमबंदी बाबत आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। शेष खसरान संख्या 2050/1009,2048/1009,2052/05 व 06 की नेखमबंदी कार्यवाही होनी संभव है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-**धारा 128 सीमा विवाद**-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 26.6.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख स्पष्ट नहीं है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिधियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2050/1009 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2048/1009 क्षेत्रफल 1.4733 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2052/5 क्षेत्रफल 0.8252 हैक्टेयर व खसरा संख्या 06 क्षेत्रफल 4.1986 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.3.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

27/03/2025

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.)